।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक :- बं.शा./जयपुर/23/2014/पार्ट/ 20790-830 दिनांक :- 7/8/2014

:: परिपत्र ::

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 के प्रावधानानुसार आजीवन कारावास से दण्डित बंदियों के स्थाई पैरोल के लिये पात्र होने पर भी बंदियों के स्थाई पैरोल प्रकरण समय पर इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जाते है कई प्रकरण तो 15 से 19 वर्ष की सजावधि भुगतने के पश्चात् प्राप्त हुये है, जो उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आजीवन कारावास सेदण्डित बंदियों के स्थाई पैरोल के संबंध में बंदियों द्वारा 13 वर्ष 08 माह की सजा भुगतने पर संबंधित जिलाधिकारियों से अभिमत प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावें। यदि जिलाधिकारियों के अभिमत यथा समय प्राप्त नहीं हो रहे है तो व्यक्तिगत ध्यान देकर दूरभाष पर वार्ता कर अभिमत प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें। बंदियों की 14 वर्ष की सजावधि पूर्ण होते ही प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये जावें ताकि यथा समय उचित निर्णय लिया जाकर अनावश्यक विधिक वादों से बचा जा सकें।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. अधीक्षक/उप अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
3. रक्षक पत्रावली।

अति. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर।